



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-21 / 2020

दर्ज तिथि:-18.06.2020

1. केहराराम पुत्र वीरमाराम
जाति जाट निवासी मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा।
.....वादी

बनाम

1. भीखाराम पुत्र वीरमाराम
2. चुतराराम पुत्र वीरमाराम
3. किसनाराम पुत्र अचलाराम
4. ठाकराराम पुत्र अचलाराम
5. गंगाराम पुत्र अचलाराम
6. तुलछाराम पुत्र अचलाराम
7. मिरगांदेवी पत्नी अचलाराम
8. मगी पत्नी वीरमाराम
जाति जाट निवासी मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
9. शाखा प्रबन्धक,एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी
10. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्णोई
प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-17.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा



Handwritten signature

एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 64 रकबा 116-18 बीघा, 64/1 रकबा 36 बीघा किरम बाराजी दोगम वाके ग्राम मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला वाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3,4,5,8,9 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1,2,6,7 मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय होकर बिना जवाब दावा पेश किये सीधे बहस का निवेदन किया।
3. तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1,2,6,7 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा मय काउन्टर कलैम पेश किया। पत्रावली में उभयपक्षकारन अधिवक्ता द्वारा बिना तनकीयात व साक्ष्य के पत्रावली में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड उभयपक्षकारन का विभाजन किये जाने का आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कथन किया। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने बिना साक्ष्य करवाये प्रकरण में सीधे बहस के आधार पर प्रकरण में वादी व प्रतिवादी का दावा स्वीकार कर विभाजन किये जाने का कथन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.05.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव पर लिखित आपति पेश कर कुर्रेजात रिपोर्ट दुबारा मंगवाने का कथन किया। हमने वादी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। प्रार्थना पत्र में वर्णित आपति निराधार होने से खारीज की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/488

दिनांक 16.03.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 11.03.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/ गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण की दिनांक 11.03.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

4. प्रकरण में उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,6,7 द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,6,7 द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 64 रकबा 116-18 बीघा, 64/1 रकबा 36 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके ग्राम मोटवी नगर, बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि


दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 64 रकबा 116-18 बीघा, 64/1 रकबा 36 बीघा किरम बारानी दोयम वाके ग्राम मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिरसा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
1.	केहराराम पुत्र वीरमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	64 64/1	3.6367 1.1558	बा.सो.	नीला
			2	4.7925		
2.	चुतराराम पिता वीरमाराम भीखाराम पिता वीरमाराम मगी पत्नी वीरमाराम किशनाराम पिता अचला गंगाराम पिता अचला ठाकराराम पिता अचला तुलसाराम पिता अचला मिरगो पत्नी अचला कौम जाट सादेहखाते रहन चुतराराम, भीखाराम, मिरगों का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी, गंगाराम, ठाकराराम का हिस्सा पीएनबी धोरीमना	1/4 1/4 1/4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20	64 64 64/1	5.4632 9.1838 4.6232	बा.सो.	पहाड़ी
			3	19.2702		
3	गै.मु.रास्ता हेतु		64 64/1	0.6394 0.0485	बा.सो. बा.सो.	लाल
			2	0.6879	बा.सो.	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


श्री लाल आर.एस.
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना-बालोतरा



सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी -भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-21/2020

दर्ज तिथि:-18.06.2020

1. केहराराम पुत्र वीरमाराम
जाति जाट निवासी मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्नाजिला बालोतरा।
.....वादी

बनाम

1. भीखाराम पुत्र वीरमाराम
2. चुत्तराराम पुत्र वीरमाराम
3. किसनाराम पुत्र अचलाराम
4. ठाकराराम पुत्र अचलाराम
5. गंगाराम पुत्र अचलाराम
6. तुलछाराम पुत्र अचलाराम
7. मिरगांदेवी पत्नी अचलाराम
8. मगी पत्नी वीरमाराम
जाति जाट निवासी मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
9. शाखा प्रबन्धक,एसबीआई बैंक शाखा गुड्डामालानी
10. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रतिवादीगण:-श्री देवाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 64 रकबा 116-18 बीघा, 64/1 रकबा 36 बीघा किरम बारानी दायम वाके ग्राम मोटवी नगर,बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

(Handwritten signature)

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	वर्ग
1.	केहराराम पुत्र वीरमाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	64 64/1	3.6367 1.1558	वा.सो.	नीला
			2	4.7925		
2.	चुतराराम पिता वीरमाराम भीखाराम पिता वीरमाराम मगी पत्नी वीरमाराम किशनाराम पिता अचला गंगाराम पिता अचला ठाकराराम पिता अचला तुलसाराम पिता अचला मिरगो पत्नी अचला कौम जाट सादेहखाते रहन चुतराराम,भीखाराम, मिरगों का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी, गंगाराम,ठाकराराम का हिस्सा पीएनबी धोरीमना	1/4 1/4 1/4 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20	64 64 64/1	5.4632 9.1838 4.6232	वा.सो.	पहाड़ी
			3	19.2702		
3	गै.मु.रास्ता हेतु		64 64/1	0.6394 0.0485	वा.सो. वा.सो.	लाल
			2	0.6879	वा.सो.	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्त भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान स्वर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिबर लाल धोरीमन्ना)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना-बालोतरा